न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 737 / 2024

अनवान : –

1. रोशनी पुत्री श्योचन्द जाति मेघवाल निवासी भोगराना तहसील नोहर।

– वादीया

बनाम्

1. श्योचन्द पुत्र रूडाराम जाति मेघवाल निवासी भोगराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. नाथी पुत्री श्योचन्द जाति मेघवाल निवासी भोगराना तहसील नोहर।
3. दलीप पुत्र श्योचन्द जाति मेघवाल निवासी भोगराना तहसील नोहर।
4. शिषपाल पुत्र श्योचन्द जाति मेघवाल निवासी भोगराना तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 01/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 124 / 118 की कुल 3.8950 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादीगण के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादी स0 2 ता 4 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 4 उक्त वाद भूमि के बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं वादीया के पिता की जाति मेघवाल है जबकि राजस्व रिकार्ड में सहवन से वाल्मिकी दर्ज हो गयी अत जाति वाल्मिकी के स्थान पर मेघवाल दुरूस्त किया जावे। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे [illegible] दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:04:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी प्रतिवादीगण उपस्थित नही अत प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

साक्ष्य में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादीगण के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादी स0 2 ता 4 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादी स0 2 उक्त वाद भूमि के बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं वादीया के पिता की जाति मेघवाल है जबकि राजस्व रिकार्ड में सहवन से वाल्मिकी दर्ज हो गयी अत जाति वाल्मिकी के स्थान पर मेघवाल दुरूस्त किया जावे। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 124/118 की कुल 3.8950 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीया का कथन है कि उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि है जिसमें वादीया व प्रतिवादी स0 2 ता 4 का प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब हक हिस्सा है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस ... है स्वीकार किया गया है। वादीया द्वारा जाति वाल्मिकी के स्थान पर मेघवाल के अंकन ... चाही गई है लेकिन वादीया द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो की वादीया के पिता की जाति मेघवाल हो अत वादी/प्रतिवादीगण/वादीया के पिता की जाति वाल्मिकी के स्थान पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:04:31 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मेघवाल दर्ज किया जाना न्यायोचित है क्योंकि वादीया द्वारा जाति बाबत कोई साक्ष्य पेश नही कियया गया है। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 4 को उक्त वाद भूमि के बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया न्यायोचित है। अत वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर आंशिक साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर आंशिक साबित होने के कारण वाद वादीया आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 124/118 की कुल 3.8950 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 01/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:04:31 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 737 / 2024

अनवान : –

1. रोशनी पुत्री श्योचन्द जाति मेघवाल निवासी भोगराना तहसील नोहर।

– वादीया

बनाम्

1. श्योचन्द पुत्र रूडाराम जाति मेघवाल निवासी भोगराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. नाथी पुत्री श्योचन्द जाति मेघवाल निवासी भोगराना तहसील नोहर।
3. दलीप पुत्र श्योचन्द जाति मेघवाल निवासी भोगराना तहसील नोहर।
4. शिषपाल पुत्र श्योचन्द जाति मेघवाल निवासी भोगराना तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 737 सन 2024 निर्णय दिनांक 01/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर आंशिक साबित होने के कारण वाद वादीया आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 124 / 118 की कुल 3.8950 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:04:31 IST
Reason: SelfAttested